



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

.....कोटा.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक एफ.32(3)आरबी/2017/3611
दिनांक ०५ मई, 2018

आदेश

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (यथासंशोधित 2013) की धारा 11(1) व 11(2) के अंतर्गत डॉ० परमेन्दर कुमार दशोरा को आदेश क्रमांक एफ.32(3)आरबी/2011/2746-52, दिनांक 30.04.2015 द्वारा कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, हेतु नियुक्त किया गया था। प्रो० दशोरा द्वारा कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पद का कार्यभार दिनांक 11.05.2015 को संभाला गया था।

प्रो० दशोरा का कार्यकाल दिनांक 10.05.2018 को पूर्ण हो रहा है। कुलपति पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, कुलाधिपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2003 (यथासंशोधित 2017) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह पर प्रो० अशोक शर्मा, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल समाप्ति उपरांत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

ह०

(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.32(3)आरबी/2017/ 3612-3617

दिनांक 04 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो० परमेन्द्र कुमार दशोरा, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. प्रो० अशोक शर्मा, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।



(हरीश कुमार)
प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा